संख्या : 13/2021/बी-1-734/दस-2021-231/2021

प्रेषक,

एस. राधा चौहान,
अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
2- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनाँक : 16 नवम्बर, 2021

विषय : प्रशासकीय विभागों द्वारा वित्तीय स्वीकृतियों के प्रस्तावों के प्रेषण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

प्रशासकीय विभागों द्वारा वित्तीय स्वीकृतियों से सम्बन्धित प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किये जाते हैं जिनका परीक्षण वित्त विभाग द्वारा किया जाता है । प्रायः यह देखने में आया है कि प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में वित्तीय उपाशय से सम्बन्धित सूचनायें तथा अन्य तथ्यों का उल्लेख यथा केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं में प्राप्त / अवमुक्त एवं उपभोग किये गये केन्द्रांश की स्थिति आदि का विवरण नहीं रहता है । इसके अतिरिक्त वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव का परीक्षण प्रशासकीय विभागों द्वारा नहीं किया जाता है । इन परिस्थितियों के फलस्वरूप वित्त विभाग द्वारा विभागीय प्रस्तावों का परीक्षण / संवीक्षा करते समय कतिपय जिज्ञासाएं की जाती हैं, जिनके कारण प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होता है ।

2- उपरोक्त के दृष्टिगत यह आवश्यक होगा कि वित्तीय प्रकरणों से सम्बन्धित प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किये जाते समय प्रशासकीय विभागों द्वारा वित्त विभाग के स्तर से समय-समय पर निर्गत संगत आदेशों के अनुपालन में अन्य व्यवहारिक तथ्यों के साथ-साथ निम्न तथ्यों का भी संज्ञान अवश्य लिया जाय -

(1) आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि व उसके सापेक्ष निर्गत स्वीकृतियाँ एवं उपलब्ध अवशेष बजट ।
(2) योजनान्तर्गत पूर्व निर्गत धनराशि के उपभोग का विवरण ।
(3) केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत केन्द्रांश की स्वीकृति से सम्बन्धित भारत सरकार के पत्र का विवरण एवं केन्द्रांश प्राप्त होने तथा उसके उपभोग की स्थिति ।
(4) केन्द्र पुरोनिधानित योजनान्तर्गत केन्द्रांश के सापेक्ष संगत राज्यांश का विवरण एवं उसके उपभोग की स्थिति ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय प्रकरणों से सम्बन्धित प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजे जाते समय उपरोक्त बिन्दुओं के आलोक में, विभागों में तैनात वित्त अधिकारी / वित्त नियंत्रक के अभिमत के साथ ही प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजे जायं ताकि प्रकरण में वित्त विभाग के स्तर पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिये जा सकें ।

भवदीया,

एस.राधा चौहान
अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं
वित्त आयुक्त ।

संख्या : 13/2021/बी-1-734(1)/दस-2021-231/2021, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि, समस्त वित्त नियंत्रक को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव, वित्त ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।